पत्रांक / 6124 / आयु0क0उत्तरा0 / विधि–अनुभाग / 15–16 / देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

दिनांक:: देहरादून 29 मार्च, 2016

–:परिपत्र:–

मुख्यालय के परिपत्र संख्या 43 / आयु0 क0 उत्तरा0 / विधि – अनु0 / 2011 – 12 वाणि0 क0 / देहरादून / दिनांक 05 अप्रैल 2011 से ऑन लाइन दाखिल पंजीयन प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गये थे । इसी कम में परिपत्र संख्या 2539 / दिनांक 06 सितम्बर 2014 द्वारा व्यापार स्थल की जॉच के समय फोटोग्राफ लेकर अपलोड करने के सम्बन्ध में व परिपत्र संख्या 2324 / दिनांक 23 सितम्बर 2014 द्वारा संवेदनशील मामलों में खण्ड में तैनात असिस्टैन्ट कमिश्नर एवं गैर संवेदनशील मामलों में खण्ड में तैनात वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा जॉच किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गये थे। तदुपरान्त पत्रांक संख्या 4233 आयु0 क0 उत्तरा0 / विधि–अनु0 / 2015 – 16 वाणि0क0 / देहरादून / दिनांक 27 नवम्बर, 2015 द्वारा संशोधन किया गया था।

वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था को व्यापारी वर्ग हेतु और अधिक सुगम बनाये जाने हेतु तथा प्रवेश कर, वैट तथा सी0एस0टी0 एक्ट में जारी किये जाने वाले पंजीयनों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से पूर्व में पंजीयन जारी किये जाने से सम्बन्धित उपरोक्त समस्त परिपत्रों को एकीकृत करते हुए प्रवेश कर, सुख साधन कर, वैट तथा सी0एस0टी0 एक्ट में पंजीयन जारी किये जाने हेतु तत्काल प्रभाव से निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं।

::निर्देश::

1– संशोधित **नियम 7** के अनुसार केवल ऑन लाईन दाखिल समस्त वांछित प्रपत्रों सहित अपलोड़ किये गये पंजीयन प्रार्थना पत्र ही स्वीकार किये जाएगें।

2– प्रार्थना पत्र विभागीय वैबवाईट http://comtax.uk.gov.in के माध्यम से अपलोड किये जायेगें।

3– ऑनलाइन एप्लीकेशन के प्राप्त होने के उपरान्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समस्त प्रार्थना पत्र तथा अनुलग्नकों के **नियमानुसार व पूर्ण** होने की स्थिति में संवेदनशील वस्तुओं से भिन्न पंजीयन प्रार्थना पत्र का निस्तारण **24 घण्टे (एक कार्यदिवस)** के भीतर करते हुये पंजीयन संख्या जारी कर दी जायेगी। संवेदनशील मामलों में पूर्ववत् व्यवस्था लागू रहेगी।

4– टिन जारी होने के उपरान्त अगले 10 कार्यदिवसों में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी अथवा इस कार्य हेतु अधिकृत अधिकारी व्यापारी द्वारा घोषित किये गये पते पर **Advisory visit** हेतु उपस्थित होंगे तथा परिपत्र संख्या 2539 दिनांक 06–09–2014 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार Geo Tagging, से सम्बन्धित कार्यवाही यथा **घोषित मुख्यालय (वैट, सी0एस0टी0, प्रवेश कर के अन्तर्गत पंजीयन हेतु दायी इकाई) एवं ब्रान्च के फोटो ग्राफ लेकर वेबसाइट पर Utility के माध्यम से अपलोड किये जाने हेतु क्लिक करेंगे, विस्तृत** सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें व्यापार सम्बन्धी समस्त आवश्यक बिन्दु सम्मिलित होंगे तथा ऑनलाइन घोषित किये गये समस्त प्रपत्रों (नियम 7 में वर्णित) के सत्यापन हेतु उनसे सम्बन्धित मूल अभिलेख कर निर्धारण अधिकारी को सत्यापनार्थ उपलब्ध करवायेंगे। इस दौरान सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी व्यापारी को मौखिक रूप से नियमानुसार विवरणी तथा कर जमा करने की प्रकिया की जानकारी तथा अन्य बिन्दुओं पर मार्गनिर्देशन भी प्रदान करेंगे।

5– खण्ड के असिस्टैन्ट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक दिन विभागीय वैबसाईट खोलकर अपलोड किये गये प्रार्थना पत्र को देखे और उनके निस्तारण हेतु आवश्यक तैयारी रखें। अधिकारी द्वारा विभागीय login के माध्यम से रजिस्ट्रेशन मॉडयूल में Enter किया जा सकता है। Enter करने पर पंजीयन सम्बन्धी लम्बित प्रार्थना पत्र Screen पर उपलब्ध हो जायेगा।

6– पंजीयन जारी किये जाने के उपरान्त बिन्दु संख्या 4 में की गयी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त पंजीयन सर्वेक्षण रिपोर्ट अगले दो कार्यदिवसों में वेबसाइट पर अपलोड कर दी जायेगी तथा उक्त पंजीयन सर्वेक्षण रिपोर्ट डीलर की लॉगइन पर भी प्रदर्शित होगी।

7– उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही व्यापारी फॉर्म–16, फॉर्म–सी आदि विभागीय प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेंगे। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फॉर्म जारी किये जाते समय यदि राजस्व हित में यह तथ्य संज्ञान में आता है कि फर्म द्वारा और अतिरिक्त जमानत जमा कराये जाने की आवश्यकता है तब ऐसी स्थिति में धारा 20 के अन्तर्गत अतिरिक्त जमानत की मांग कर सकते हैं।

8– बिन्दु संख्या 04 की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त अगले कार्यदिवस तक पंजीयन प्रमाण पत्र (मूल रुप में),घोषित व्यापार स्थल पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से पोस्ट कर दिया जायेगा । कार्यालय में व्यक्तिगत रुप से यह प्रमाण पत्र व्यापारी अथवा उसके प्रतिनिधि को नही दिया जायेगा।

9– e-Registration जारी करने की प्रकिया से सम्बन्धित सॉफटवेयर में किसी तकनीकी समस्या या अन्य किसी समस्या के संबध में टोल फ्री नं 1800–266–2277 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

उक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड

6124

पृ0प0सं0 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून।
4– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/रूद्रपुर/काशीपुर जोन।
5– ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार/रूडकी/काशीपुर/रूद्रपुर/बाजपुर/खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
7– श्री अनुराग मिश्रा, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, हरिद्वार एवं **Web-Information Officer** को विभागीय **Website** पर **Update** करने हेतु।
8– डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, नैनीताल।
9– अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्यौगिक क्षेत्र देहरादून।
10– प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।

11– दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।
12– प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेंडिंग कम्पनी 81– मोती बाजार देहरादून।
13– The whole sale dealers Association 14– आढ़त बाजार देहरादून।
14– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।
15– कार्यालय अधीक्षक/विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
16– समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।